रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012023-243197 CG-DL-E-25012023-243197

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] No. 46] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 24, 2023/माघ 4, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 24, 2023/MAGHA 4, 1944

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023

सा.का.िन. 47(अ).—कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और अधिक संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदा एद्तद्वारा प्रकाशित किया जाता है जैसा कि इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए उक्त धारा के तहत अपेक्षित है और एद्तद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस पर इन नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं:

उक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अनुभाग अधिकारी (पी एंड एस-II अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कक्ष संख्या 514/2-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं या soca3.moc@nic.in पर ई-मेल किए जा सकते हैं।

560 GI/2023 (1)

मसौदा नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों को कोयला खान (विशेष उपबंध) (संशोधन) नियम, 2023 कहा जा सकता है।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में, नियम 10 के उप-नियम (4) के खंड (ग) के उप-खंड (iii) में
 - (i) "बैंक गारंटी के रूप में बोली प्रतिभूति" शब्दों के लिए "बोली प्रतिभूति उपलब्ध कराना" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. सीबीए 2-13011/1/2020-सीबीए2/पीएंडएस-II]

एम. नागराजू, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में जी.ए.सआर. 883(ई), दिनांक 11 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार जी.एस.आर. 332(ई) दिनांक 29 मई, 2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2023

G.S.R. 47(E).—The following draft of certain rules further to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rule, 2014, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) is hereby published as required under the said section for informing all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Section Officer (P&S-II section), Ministry of Coal, Government of India, Room No. 514/2-D, Shastri Bhawan, New Delhi 110001 or emailed at soca3.moc@nic.in.

DRAFT RULES

- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) (Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, in sub-clause (iii) of clause (c) of sub-rule (4) of rule 10.—
 - (i) for the words "bid security in the form of bank guarantee", the words "provide bid security" shall be substituted.

[F. No. CBA 2-13011/1/2020-CBA2/P&S-II]

M. NAGARAJU, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 883(E), dated the 11th December, 2014 and lastly amended *vide* number G.S.R 332(E) dated the 29th May, 2020.ss